



AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION

(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)

Kumher, Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Mobile No.: 9419256071, 7006932187

Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

Officer Incharge

No. F. /Estt./ARSS/K/2026/208-214

Dated: 05/08/2026

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के लिये वित्तीय वर्ष रबी 2026-27 में हिस्सा आधारित खेती के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। हिस्सा आधारित खेती के लिए इच्छुक निविदादाताओं के पास पैनकार्ड व आधार कार्ड होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय समय में निविदा शुल्क रुपये 500/- प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेक अथवा ऑनलाइन द्वारा भुगतान कर दिनांक 14.08.2026 तक सुबह 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in व <http://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं तथा निविदा शुल्क व अमानत राशि के साथ बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेक अथवा ऑनलाइन द्वारा देना होगा तथा सीलबंद निविदाएं दिनांक 14.08.2026 को सुबह 12:00 बजे तक जमा कराई जा सकती हैं। दिनांक 14.08.2026 को दोपहर 12:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रु) लाख	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1	फार्म पर 36 हेक्टेयर भूमि पर रबी फसल 2026-27 में हिस्सा आधारित खेती का कार्य	9.0	18000

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर

Date: 05/08/2026

No.F./OT/ARSS/KUMHER/2026/208-214

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
- श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 14.08.2026 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
- श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
- श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां-अलवर
- श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय कुम्हेर-भरतपुर को भेजकर लेख है कि केन्द्र की समिति को दिनांक 14.08.2026 भेजकर निविदा सम्पन्न करावे।
- कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
- कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
- पंचायत समिति कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
- रक्षित फाइल

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर

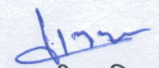
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
हिस्सा आधारित कृषि हेतु

खुली निविदा प्रपत्र

खुली निविदा सूचना क्रमांक: एफ (OT)/Store/ARSS/K/2026/208-214		दिनांक: 05/08/2026
1. योजना का नाम	हिस्सा आधारित खेती	
2. बजट हैड	रिवोल्विंग फण्ड	
3. कार्य की अनुमानित अवधि	रबी वर्ष 2026-27	
4. निविदा फार्म का मूल्य	500/- रुपये बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक व ऑनलाइन	
5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	धरोहर राशि 18000/- रुपये	
6. अनुमानित लागत	9 लाख	
7. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	14.08.2026 सुबह 10:30 बजे तक	
8. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	14.08.2026 सुबह 12:00 बजे तक	
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	14.08.2026 सुबह 12:30 बजे	
10. परिशिष्ट संख्या दो से पाँच	निविदा की शर्तें	
11. परिशिष्ट संख्या छः	फसल व हिस्सेदारी का विवरण	
12. पत्राचार हेतु पता- प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)	मोबाईल नं०-7006932187	

निविदादाता के हस्ताक्षर


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

हिस्सा आधारित खेती हेतु

तकनीकी निविदा प्रपत्र वर्ष 2026-2027

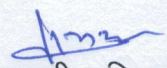
क्रमांक: क्रमांक: एफ (OT)/Store/ARSS/K/2026/208-214

दिनांक: 05/08/2026

फर्म का नाम व पता मय दूरभाष:-

1. धरोहर राशि रू0 18000/- को डी0डी0 सं0/बैंकर्स चैक/ऑनलाइन.....दिनांक
2. पैन नं0 (फोटोप्रति संलग्न करें)
3. आधार संख्या (फोटोप्रति संलग्न करें)
 - बैंक पासबुक/केन्सिल चैक
 - संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र
 - ब्लेकलिस्ट नहीं होने का प्रमाण पत्र
4. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर।
5. सफल निविदादाता को 500/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।
7. बिल का भुगतान कार्य पूरा होने के पश्चात् कोष कार्यालय जोबनेर से पास होने के बाद किया जावेगा।
8. अमानत राशि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

निविदा शर्त:-

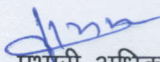
3

1.	प्रस्तावित निविदा में तकनीकी व वित्तीय अलग-अलग सीलबन्द लिफाफे में प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को प्रेषित होनी चाहिए।
2.	प्रस्तावित हिस्सेदारी प्रतिशत फसल के सामने स्पष्ट लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदनाशक, कीटनाशक कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी, साथ ही सभी कृषि यंत्र मय ट्रेक्टर डीजल केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा व प्रभारी अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगा।
4.	निविदादाता को सिंचाई संबंधी पाईप, डीजल इंजन, वाटर पंप, वॉल, रिंच पाना किट, फव्वारे बेड, टी, डाट व अन्य सिंचाई सम्बन्धी सामान आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे, नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
5.	बीज उत्पादन के लिए बुवाई से लेकर, थेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम में रखने तक सभी कार्यों में लगने वाले श्रमिकों की आपूर्ति हिस्साधारक को करने होंगे, जिसमें पलेवा व बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई-गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी, फफूंदनाशी व उर्वरकों का छिड़ाकव करना, फसल की कटाई करना, कटी फसल को इकट्ठित करना व थेसिंग कर दाने को साफ कर स्टोर में धांग लगाने का कार्य हिस्साधारक को करना होगा। फसलों में खरपतवारों की स्थिति को देखते हुए एक बार से अधिक निराई करानी होगी।
6.	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
7.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र/ फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशाले पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
8.	फार्म फील्ड पर यदि रबी सीजन में किसी भी फसल की ट्रायल लगायी जाती है तो जानवरों से उस फसल की सुरक्षा भी निविदादाता को ही करनी होगी। साथ ही प्रयोगों में होने वाली सिंचाई भी करनी होगी।
9.	निविदादाता निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
10.	हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के तुरन्त बाद 1000/- रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अमानत राशि जमा करानी होगी, जिसमें धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।
11.	फार्म पर 36 हेक्टेयर कृषि भूमि है, फसल के हिसाब से क्षेत्रफल घटाना व बढ़ाना या किसी फसल को नहीं लेना का अधिकार केन्द्र के पास रहेगा, जिसमें ठेकेदार को कोई हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा।
12.	यह ठेका रबी वर्ष 2026-27 के लिए कार्यालय आदेश जारी होने के फसल फार्म फील्ड में से उठने तक के लिए मान्य होगा। फसल, फील्ड में से उठाने तक की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
13.	उत्पादित बीज का वजन तौलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत वजन काटा जावेगा।
14.	जुताई हेतु ड्राइवर व ट्रैक्टर सभी यन्त्र, डीजल आदि व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी। सिंचाई हेतु इंजन, पाईप डीजल इत्यादि केन्द्र उपलब्ध करायेगा।
15.	बीजोत्पादन में बीज का हिस्सा न देकर हिस्से की राशि, बीज जमा कराने की तिथि से 7 दिन पहले व 7 दिन बाद तक के नजदीकी मंडी के औसत भाव के अनुसार अदा किया जावेगा।
16.	फसल में रोगिंग/ अवांछित पौधों को निकालने का कार्य फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक की देखरेख में अलग-अलग समय पर करना होगा।
17.	बोरिंग, पम्प, ईंजन, पंखा इत्यादि का ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा एवं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी, जिसकी अलग से कोई मजदूरी देय नहीं होगी।
18.	श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। केन्द्र द्वारा श्रमिकों को लाने ले जाने हेतु ट्रेक्टर ट्रौली केन्द्र द्वारा देय नहीं होंगे।
19.	फसल की दिन व रात्रि चौकीदारी निविदादाता की होगी व निविदादाता को दिन व रात्रि में अपना चौकीदार रखना अनिवार्य होगा। साथ ही सिंचाई सम्बन्धी सामान की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
20.	निविदादाता को सभी कार्य समय पर फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की मॉग अनुसार कराने होंगे यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या प्रभारी अधिकारी, कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जायेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या जिसका भुगतान ठेकेदार के अन्तिम भुगतान में से काट लिया जावेगा। गेहूँ फसल में हिस्साधारक को तीन से चार सिंचाई आवश्यक रूप से करनी होगी।
21.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
22.	थेसिंग का कार्य सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक किया जावेगा।
23.	गेहूँ फसल की कटाई श्रमिकों द्वारा हाथ से करानी होगी, कटाई के समय कटी फसलों में मिट्टी नहीं आनी चाहिए। साथ ही मौसम की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए कटाई का कार्य कम्पाइन से कराने या न कराने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा। कम्पाइन द्वारा गेहूँ की कटाई के बाद भूसा बनाने की जिम्मेदारी स्वयं सफल निविदादाता की होगी, इसमें केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
24.	कटी हुयी फसलों पर यदि बरसात होती है तो फसलों के पूलों को श्रमिक लगाकर ठेकेदार को बदलवाना होगा।

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

25.	रबी एवं खरीफ में अतिवृष्टि या अनावृष्टि होने के कारण यदि फसलों में नुकसान होता है तो केन्द्र द्वारा किसी तरह का कोई हर्जाना नहीं दिया जावेगा।
26.	सफल निविदादाता को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
27.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
28.	समस्त कार्य पूर्ण होने पर प्रभारी अधिकारी को कार्य से संतुष्ट होने पर ही हिस्सेदारी का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा। फसल वृद्धि के दौरान बीच में कोई अग्रिम राशि नहीं दी जावेगी। ठेकेदार अपने श्रमिकों का भुगतान बीच-बीच में स्वयं को करना होगा।
29.	निविदादाता आधार कार्ड व पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
30.	अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
31.	फार्म पर बोयी गयी सभी फसलों से प्राप्त भूसा/चारा/खारी/तूड़ी उत्पाद 100 प्रतिशत सफल निविदादाता की होगी।
32.	किसी प्रकार के प्राकृतिक व अन्य कारण से नुकसान के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें केन्द्र किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
33.	मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार हिस्सा बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार


 प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumber (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

No.F./OT/ARSS/KUMHER/2026/203-214

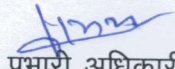
Date: 05/08/2026

खुली निविदा हेतु वाछित दस्तावेजात की सूची निम्न प्रकार संलग्न करें

क्र.सं.	आवश्यक दस्तावेजात का विवरण	संलग्न सूची क्रमांक
1.	आयकर (पैन कार्ड)	
2.	ब्लेक लिस्ट न होने का घोषणा प्रपत्र	
3.	निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 500/- का डी.डी./बैंकर्स चैक/ऑनलाइन संलग्न	
4.	अमानत राशि रुपये 18000/- का डी.डी./बैंकर्स चैक/ऑनलाइन संलग्न	
5.	शर्तों पर सहमति	
6.	आधार कार्ड	
7.	बैंक पासबुक/केन्सिल चैक	
8.	संतोषजनक कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र	

नोट:- उपरोक्त वाछित दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जावेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अनुत्तरदायी होने पर फर्म की वित्तीय निविदा को नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त दस्तावेज सूची अनुसार तकनीकी प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

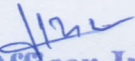

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य सेवा/सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायलय में सेवा प्रदायगी में **Defaulter/Blacklist** का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायलय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य व प्रतिशत हिस्सा का विवरण

वित्तीय निविदा प्रपत्र-1

क्रमांक: एफ (OT)/Store/ARSS/K/2026/208-214

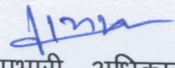
दिनांक: 05/08/2026

रबी फसल हिस्सा आधारित खेती वर्ष 2026-2027

क्र० सं०	फसल	विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित स्वयं का हिस्सेदारी प्रतिशत
1.	सरसों	दाना	
2.	जौ	दाना	
3.	गेहूँ	दाना	
4.	चना	दाना	
5.	मसूर	दाना	
6.	सौंफ	दाना	

नोट - हिस्सा आधारित खेती में रबी में बोयी गयी सभी फसलों का भूसा/चारा/तूड़ी/खारी 100 प्रतिशत ठेकेदार/काश्तकार की होगी। उक्त तालिका में केवल दाने का हिस्सा निविदादाता को भरकर देना होगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार


 प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)